



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(A Govt. of Bihar Undertaking) ISO 9001:14001;OHSAS 18001
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004
Tel. No : 0612 - 2660850 * Fax No : 0612 - 2660256
E-mail: bseidc@gmail.com * Website : http://www.bseidc.in * CIN: U80301BR2010SGC015859

पत्रांक:-.....48.....

पटना, दिनांक:-.12/03/26

कार्यालय-आदेश

भागलपुर जिला के अंतर्गत Construction of Different School Building (for XI & XII Class) in District-Bhagalpur (UHSS-21) के भवन का निर्माण कार्य का एकरारनामा संख्या-199 SBD of 2022-23, दिनांक-05.11.2022 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि-05.11.2022 एवं कार्य समाप्ति की तिथि-04.05.2024 है। कार्य समाप्ति की तिथि से 01 वर्ष 9 माह से ज्यादा समय बीत जाने के पश्चात भी इस कार्य को दिनांक-25.02.2026 तक **Adrit Enterprises, Anand Nagar, Deoghar, Jharkhand-814112** के द्वारा कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है, जिससे विभाग की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है एवं इसमें खर्च की गयी राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

कार्यपालक अभियंता का पत्रांक-BSEIDC/BGP/EE/UHSS-21/2022/942 Dated-18.12.2024, पत्रांक-BSEIDC/BGP/EE/UHSS-21/2022/925, Dated-22.11.2024 एवं BSEIDC/BGP/EE/UHSS-21/2022/907, Dated-16.10.2024 के द्वारा कार्य को विखंडित करने हेतु आपसे कारण पृच्छा की गयी थी। जिसके बाद कार्यपालक अभियंता, भागलपुर के पत्रांक-BSEIDC/BGP/EE/UHSS-21/2024/1399 Dated-05.11.2025 द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण बाध्य होकर एकरारनामा को विखंडित करने की अनुशंसा की गयी है। साथ ही आपको BSEIDC/TECH/976/2016/(VOL-05)-5153, Date-14.08.2024 के द्वारा Debar भी किया जा चुका है। कार्य के प्रारंभ की तिथि से अभी तक अर्थात् तीन वर्षों बाद भी आपके द्वारा वित्तीय रूप से लगभग 27.86% कार्य ही किया गया है।

कार्य की वर्तमान स्थिति देखते हुए आपको एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3 (iii), (iv), (v) (vii) (a) तथा 14 (iii) 14 (x) (b) के तहत विषयक एकरारनामा को आपके Risk & Cost पर विखंडित (Rescind) कर Security Deposit को जब्त करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक- BSEIDC/TECH/289 /2019-VOL-III-840, Dated-12.02.2026 के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं कार्यपालक अभियंता, भागलपुर के अनुशंसा के आलोक में एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3 (iii), (iv), (v) (vii) (a) तथा 14 (iii) 14 (x) (b) के आलोक में संवेदक- **Adrit Enterprises, Anand Nagar, Deoghar, Jharkhand-814112** के Agreement संख्या-199 SBD of 2022-23, दिनांक-05.11.2022 को तत्काल प्रभाव से आपके Risk & Cost पर विखंडित किया जाता है। साथ ही एकरारनामा के Clause of Contract के 3 (vii) (a) के तहत सभी सुरक्षित राशि एवं Performance Security को राज्यसात (Forfeited) किया जाता है।

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2012 के कंडिका 8 (ii) के आलोक में अन्य कार्यवाई भी की जाएगी।

इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक- BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-III)- 1851

पटना, दिनांक-.12/03/26

प्रतिलिपि:- **Adrit Enterprises, Anand Nagar, Deoghar, Jharkhand-814112** को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य अभियंता

Mit

मुख्य अभियंता

Mit